

संख्या - 000/डी.एस.पी/1  
भारत सरकार  
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,  
जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,  
आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023  
दिनांक: 10.02.2003

सेवा में

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी

**विषय: अपील के मामले में आयोग की सलाह को स्वीकार न करना ।**

बड़ी शास्ति के मामले में जांच के परिणाम आने पर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्णय लेने से पहले अथवा आरोपित कर्मचारी के स्पष्टीकरण की प्राप्ति के बाद लघु शास्ति कार्यवाहियों पर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्णय लेने से पहले, आयोग अपनी द्वितीय चरण की सलाह देता है । कई बार प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा दंड दिए जाने के बाद, आरोपित कर्मचारी अपील करता है । अपील प्राधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि आयोग द्वारा दी गई सलाह का पालन करें तथा अपील पर निर्णय दें । यदि अपील प्राधिकारी, अपील पर आयोग द्वारा दी गई सलाह से हटकर निर्णय लेते हैं तो मुख्य सतर्कता अधिकारी इसकी रिपोर्ट आयोग को करेंगे, जो उचित दृष्टिकोण लेगा कि क्या यह परिवर्तन इतना गंभीर है कि इसे आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जाए ।

2. आयोग आगे यह बल देना चाहता है कि शास्ति लगाने अथवा अन्यथा के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिए जाने से पहले, प्रशासनिक प्राधिकारी के विशिष्ट अनुरोध पर केवल अपवाद मामलों में सलाह पर पुनर्विचार किया जाएगा । प्रशासनिक प्राधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद, आयोग पुनर्विचार के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा । ऐसे मामलों को आयोग की सलाह की अस्वीकृति से केवल "परिवर्तन" के रूप में लिया जाएगा ।

भवदीय

ह0/-  
(मांगे लाल)  
उप सचिव

टेलीफैक्स : 24651010